ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00047

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 79/2015

1. श्रीमती नानूदेवी पत्नी श्री गणपतराम
2. श्रीसुरजाराम पुत्र गणपतराम
3. स्व0 किशनाराम पुत्र श्री गणपतराम के वारिस (मृतक)

3/1 रामप्यारी पत्नी किशनाराम
3/2 रिछपाल पुत्र किशनारमा
3/3 देवीलाल पुत्र किशनाराम
3/4 लेखराम पुत्र किशनाराम
3/5 मीरा पुत्री किशनाराम

4. गोविन्द राम पुत्र श्री गणपतराम
5. गुड्डी देवी पुत्री श्री गणपतराम
6. बनवारी लाल पुत्र श्री गणपतराम
7. सोहन लाल पुत्र श्री गणपतराम
8. ओमप्रकाश पुत्र श्री गणपतराम
9. धापोबाई पुत्री श्री गणपतराम
10. गणेशाराम पुत्र श्री गणपतराम

जाति सनायक साकिनान 45 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. अमरीक सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमुपर जिला श्रीगंगानगर।
2. अंग्रेज सिंह पुत्र रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमुपर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2. श्री गुरजीत सिंह वानर, राजकीय अधिवक्ता

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर बमुकदमा अनुवानी नानूदेवी बनाम अमरीक सिंह वगैरा प्रकरण संख्या 01/2013 निर्णय दिनांक 30.10.2015 जिसकी रूह से प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निरस्त कियागया –मन्सूखी बाबत।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

::आदेश::

दिनांक :–28.06.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व, विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत तथा रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पिता के नाम से वाके चक 45 आर.बी. के खाता संख्या 19/25 के मुरब्बा नम्बर 20 की 2.808 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज कागजात माल है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नाजायज रूप काबिज है जिनसे कब्जा दिलवाया जावें। अप्रार्थी के जवाबदेही के अनुसार अप्रार्थी का जमीन से कोई वास्ता नहीं है। कृषि भूमि को गणपतराम ने जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह हरिजन निवासी 6 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर को बेचान कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया गया जिसकी अपील माननीय न्यायालय में जसमेल सिंह बनाम नानूदेवी प्रस्तुत होने पर निर्देशों के साथ दिनांक 04.03.2015 को रिमाण्ड की गई। दोनो पक्षों को अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा सुनने के उपरांत प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुये धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
3. यह कि अपीलार्थीगण विवादित कृषि भूमि के खातेदार (मृतक पिता) के मालिक है। कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जबरन कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पटवारी तथा ब्यानों के आधार पर स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम बेनामी दस्तावेज का आधार बनाकर कब्जा कर रखा है जबकि तथाकथित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम कोई व्यक्ति न तो ग्राम 45 आर.बी. में रहता है और ना ही 6 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर में रहता है। यही नही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का कोई व्यक्ति जैसलमेर में भी नहीं रहता है। महज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तथाकथित झूठे एवं फर्जी बैयनामा के आधार पर कब्जा बनाये रखना चाहते है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है, कतई गलत है क्योंकि प्रथमतः किसी भी अप्रार्थी द्वारा कोई आक्षेप ही नही उठाया और ना ही किसी अप्रार्थी ने जवाब ही प्रस्तुत किया गया है जबकि जमाबन्दी में अपीलार्थी के पिता खातेदार दर्ज है। प्रस्तुत शुदा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अनुसार प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्ष्य की अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचना तक नहीं की है।
5. यह कि धारा 183–बी एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के जवाब उपरान्त साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना था। रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई भी साक्ष्य ना तो मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश की। मौके पर रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

संख्या 2 व 3 का कब्जा अवैध रूप से बिना किसी आधार से बना रखा है, जिसे बेदखल किया जाना न्यायोचित है।

6. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की इस धारा का मुख्य उद्देश्य कमजोर एवं गरीब तबके के काश्तकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना होता है। निर्विवाद रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई अस्तित्व नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जोर जबरदस्ती पूर्वक कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल किया जाना कानूनन आवश्यक है।
7. यह कि अपील अपीलांटस अन्दर मियाद है, श्रीमान जी न्यायलाय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार में है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि:–

1. दिनांक 07.10.2013 –अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया।
2. दिनांक 18.10.2023–हल्का पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन इस आश्य का प्रेषित किया कि जसमेल सिंह नाम का कोई व्यक्ति 45 आर.बी. तहसील पदमपुर में नहीं रहता, परन्तु कब्जा अप्रार्थीगण का है।
3. दिनांक 18.10.2013– अप्रार्थीगण के जवाबनुसार कब्जा अप्रार्थीगण का ना होकर खरीददार जसमेल सिंह का है, प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है।
4. दिनांक 24.04.2014– विचारण न्यायालय ने जसमेल सिंह को सुनवाई हेतू मोहनगढ जिला जेसलमेर को नोटिस प्रेषित किया। रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति नहीं रहता।
5. दिनांक 05.092014 – प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी स्वीकार किया।
6. दिनांक 12.09.2014– अपीलांट/ अप्रार्थी जसमेल सिंह ने अपील 59/2014 श्रीमान जी के समक्ष प्रेषित की। एकतरफा स्थगन हासिल किया।

दिनांक 04.03.2015– अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस दिशा निर्देश से प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलांट का जाति –मृत्यु के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य रेकॉर्ड पर ली जावें साथ ही इस तथ्य की जांच की जावें कि खरीददार अपीलांट द्वारा विवादित भूमि विधिमान्य घोषित करवाया है अथवा नहीं । चूंकि पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में खरीददार अपीलांट की जाति हरिजन अंकित की है तथा बैयनामा दिनांक 29.07.1974 में अपीलांट की जाति शेरगिल को काटकर हरिजन अंकित किया है, जमाबंदी सम्वत् 2069–72 में अपीलांट की जाति जटसिख अंकित की गई है। इस प्रकार खरीददार अपीलांट की जाति जमाबन्दी के अनुसार जटसिख होना साबित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

होता है, इस प्रकार का बेचान धारा 42 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से धारा 175 का वाद सक्षम न्यायालय में दायर किया जावें।

8. दिनांक 30.10.2015– विचारण न्यायालय ने बिना किसी अपीलांट न्यायलाय के दिशा निर्देशों की पालना किये अपीलाधीन आदेश पारित किया।

अपील के आधार

1. यह कि अपीलार्थीगण के प्रार्थनानुसार मौके पर खरीददार (जसमेल सिह) का कब्जा ना होकर अमरीक सिंह (अप्रार्थीगण) का अतिक्रमी के रूप में था, चूंकि खरीददार ना तो चक 45 आर.बी. तहसील पदमपुर में निवास करता था और ना ही मोहनगढ जिला जैसलमेर में निवास करता था, जो कि जांच प्रतिवेदन हल्का पटवारी एवं नोटिस से स्पष्ट था। श्रीमान न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलांट जसमेल सिंह की जाति–मृत्यु के सम्बन्ध में साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिया जावें। विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की बल्कि श्रीमान जी के स्पष्ट आदेश दिनांक 04.03.2015 की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया।
2. यह कि श्रीमान जी के स्पष्ट आदेश थे कि जसमेल सिंह अपीलार्थी की जाति–मृत्यु की जांच की जावें क्योंकि बैयनामा दिनांक 29.07.1974 में जाति शेरगिल को काटकर हरिजन अंकित किया गया, गौरतलब है कि विचारण न्यायालय ने जांच तो दूर जसमेल सिंह को तलब तक नहीं किया।
3. यह कि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) है जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित होता है। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थीगण का कब्जा केवल और केवल अतिक्रमी की हैसियत से है जिसे बेदखल किया जाना न्यायहित है।
4. यह कि विचारण न्यायालय का प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार क्षेत्र नही है क्योंकि तहसीलदार द्वारा आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
5. यह कि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उदेश्य केवल कमजोर एवं हरिजन जाति विशेष को कानूनी सरंक्षण प्रदान करना होता है। प्रार्थीगण / अपीलार्थी पिछले 11 वर्षो से कानून की लम्बी लड़ाई अनावश्यक रूप से रेस्पोडेन्ट के अवैद्य कृत्य से भुगत रहे है।
6. यह कि यद्यपि मियाद का बिन्दु अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के माध्यम से नहीं उठाया गया फिर भी प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2013 के पेरा संख्या 4 में विवाद कारण अप्रेल 2010 में स्पष्ट उठाया है कि कब्जा छोड़ने से स्पष्ट इन्कार हो गये। किन्तु अप्रार्थीगण को बैयनामा से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

माननीय राजस्व मण्डल के आंशिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूपेण लागू होता है :–
राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955–धारा 230 व 183(बी) बेदखली एवं अप्रार्थीगण को कब्जा देने का आदेश–अप्रार्थीगण

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

गैरखातेदार थे और भूमि विक्रय की यद्यपि व सक्षम नहीं थे–भूमि का विक्रय अवैद्य व अप्रभावी था– विक्रय पत्र प्रारम्भतः शून्य था– शून्य विक्रय के मामले में मियाद नही– समवर्ती निष्कर्ष यथावत् रखने योग्य है।

नजीर–R.R.T.-2015 Page-958 DB

अतः बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार फरमाया जावें तो जनबा की मेहरबानी होगी।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण से उक्त भूमि जरिये बैयनामा जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति शेरगिल (हरिजन) निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमपुर ने दिनांक 29.07.1974 क्रय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा के प्रकरण संख्या 01/2013 अनवानी नानूदेवी वगैरा बनाम अमरीक सिंह में उपलब्ध नोटिस पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल मोहनगढ (बी) में जसमैल सिंह पुत्र बन्ता सिंह मजबी (हरिजन) बस स्टेण्ड मोहनगढ के आस–पास इस नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है की रिपोर्ट की है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर ने प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 01/2013 अनवानी नानूदेवी वगैरा बनाम अमरीक सिंह में अपने आदेश दिनांक 30.10.2015 से अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र 183–बी खारिज कर रकबा बहक सरकार लिये जाने एवं धारा 175 राज0 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने के जो आदेश पारित किये गये है वो सही पारित किये गये। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन पश्चात एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि अपीलार्थीगण के पिता गणपतराम ने जरिये बैयनामा दिनांक 29.07.1974 को जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति शेरगिल (हरिजन) निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमपुर को विक्रय की गई है।

"अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी, पटवार मण्डल 40 आर.बी. गणपतराम पुत्र खेतराम जाति नायक निवासी 45 आर.बी. के नाम चक 45 आर.बी. के मुरब्बा नम्बर 20 में 3.036 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज खातेदारी है। गणपतराम के वारिसों के प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त भूमि पर अमरीक सिंह पुत्र रेशम सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र अमरीक सिंह जाति जटसिख ने कब्जा कर रखा है। मौके पर जांच की गई तो अमरीक सिंह ने दस्तावेज बैयनामा दिनांक 29.07.1974 की फोटो प्रति पेश की जिसमें गणपतराम द्वारा भूमि का बेचान जसमेल वल्द बन्ता हरीजन निवासी 45 आर.बी. को उपरोक्त भूमि बेचान की गई है। जसमेल नाम का कोई व्यक्ति 45 आर.बी. में मौका पर आबाद नहीं है। उपरोक्त भूमि पर अमरीक सिंह पुत्र रेशम सिंह, अंग्रेज सिंह पुत्र अमरीक सिंह कौम जटसिख सा. 45 आर.बी. का ही कब्जा चला आ रहा है। गणपतराम के वारिसान भी 45 आर.बी. में आबाद नहीं है।"

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रार्थना पत्र अमरीक सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमपुर में अप्रार्थी अमरीक सिंह ने स्वीकार किया है कि चक 45 आर.बी. के खाता संख्या 19/25 के मु.नं. 20 के किला नम्बर 1, 9 ता 13, 17 ता 25 रकबा पर मुझ प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा आदि नहीं है। मुझ प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर बीज बुहाई, अन्य कार्य किराया पर किया जाता है और मेरा कोई लेना देना नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के मध्यनजर विवादित आराजी का हस्तान्तरण जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति शेरगिल (हरिजन) निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमपुर को जरिये बैंयनामा दिनांक 27.09.1974 बेचान की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह की जाति जटसिख अंकित है। इसलिए धारा 42 (ख) के तहत यह हस्तांतरण विधि–विरूद्व है। परन्तु विवादित भूमि का हस्तान्तरण जिस व्यक्ति जसमैल सिंह पुत्र बन्ता सिंह को किया गया है वह वर्तमान में चक 45 आर.बी. तहसील पदमपुर एवं नवीन पता पटवार हलका मोहनगढ (बी) बस स्टेण्ड के मोहनगढ उपनिवेशन तहसील मोहनगढ नं.1 में भी रहना नहीं पाया गया है ना ही उक्त व्यक्ति का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी पक्षकारान द्वारा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन के पश्चात पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित आराजी गैर कानूनी रूप से हस्तांतरित हुई है इसलिए विधिक प्रावधानों के आलोक में भूमि राजसात की जा सकती है। **प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है और उन्होंने भूमि जसमेल सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति शेरगिल (हरिजन) निवासी 45 आर.बी. तहसील पदमपुर को जरिये बेयनामा दिनांक 27.09.1974 बेचान की गई है जबकि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 जसमेल सिंह की जाति जटसिख है, को विक्रय की गई। –विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य है। इसलिए –मूल भूमिधारी स्वयं बेदखल होने योग्य** "होने के कारण मूल भूमिधारी स्वंय बेदखल होने योग्य है। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि का रकबा बहस सरकार रिज्यूम किया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अगर अमल–दरामद नहीं किया गया है तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका अमल–दरामद किया जावें। तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 30.05.2015 में दिया गया आदेश वाद अन्तर्गत धारा 175 आरटीए का सक्षम न्यायालय उपजिला कलक्टर पदमपुर में पेश किया जावें। अगर तहसीलदार पदमपुर द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 175 आरटीए पेश नहीं किया है तो किया जावें एवं पालना से न्यायालय को अवगत करवाया जावें।

लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें, एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)